न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 60/2005/223 आर टी ए

1. मेजरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दर्शनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. निछतरसिंह पुत्र तोतासिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद ग्राम सुखना अबूल तहसील गिदड़वाहा जिला मुक्तसर।
2. विक्रमसिंह पुत्र तोतासिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद ग्राम सुखना अबूल तहसील गिदड़वाहा जिला मुक्तसर।
3. अमरजीतसिंह पुत्र तोतासिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद ग्राम सुखना अबूल तहसील गिदड़वाहा जिला मुक्तसर।
4. करनैलसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. नक्षत्रसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मुखत्यारसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मलकीयत सिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. जिन्द्रपाल पुत्र हरिराम जाति चमार निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.05 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 106/2000 अनवानी मेजरसिंह आदि बनाम निछतरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कुलदीप सिंह खुडियां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांकः–12.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं साक्ष्य का बिना विवेचन किये उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तवेजो के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट ने अपने वाद को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सम्वत 2053 चक 21 जेएसएन व सम्वत 2056 चक 20 जेएसएन सम्वत 2053 चक 21 जेएसएन, सम्वत 2054 चक 25 जेएसएन खाता सं. 81 व 82 पेश किए तथा बतौर मौखिक साक्ष्य मे मेजरसिंह, बीरबलराम, जंगीरसिंह, दर्शनसिंह, पटवारी हल्का के ब्यान करवाये गये। प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित था कि वादपत्र मे वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को पारिवारिक बंटवारा मे भूमि प्राप्त हुई है। जिसके मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से मे आई कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है और उसी अनुसार लगान व आबियाना अदा करते रहे है। विचारण न्यायालय ने पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 को कतई नजरअंदाज कर कानूनी भूल की है। पारिवारिक बंटवारा के विपरीत विवेचन देने का विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आधार नही था क्योंकि उक्त पारिवारिक बंटवारा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की सहमति से तहरीर हुआ था। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के हस्ताक्षर इस बात को साबित करते है। विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार कोई तनकीवाईज निर्णय नही दिया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1976 पेज 807, आरआरडी 1995 पेज 130 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2016 चक बारानी जोगीवाला नानूराम आदि, प्रमाणित प्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2016 चक 14 जोगीवाला खाता नानूराम आदि, प्रमाणित प्रति जमाबंदी खतौनी सम्वत 2016 चक 11 जोगीवाला खाता सं. 12 अमीलाल आदि, प्रमाणित प्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2016 चक 14 जोगीवाला खाता अमीलाल आदि, प्रमाणित प्रति खतौनी सम्वत 2016 चक 14 जोगीवाला खाता सं. 65 चन्दू पुत्र नानू, प्रमाणित प्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2016 चक 14 जोगीवाला खाता सं. 69 हंसराज आदि अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 के आधार पर घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि वादीगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादीगण प्रतिवादीगण के बीच मे कोई दिनांक 05.08.79 को बाहमी बंटवारा हुआ हो। इसी आधार पर वाद साबित नही होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 प्रस्तुत किया था जिससे साबित है कि वादीगण प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का

बंटवारा हुआ था। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बतौर हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 पर उभय पक्ष से दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए समुचित निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 को नजरअंदाज करते हुए बिना तनकीवार निर्णय पारित कर बाहमी बंटवारा के संबंध मे दस्तावेजी प्रस्तुत नही करने के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली मे संलग्न पारिवारिक बंटवारा दिनांक 05.08.79 के संबंध मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर पुनः नये सिरे समुचित निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ